लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय महाविद्यालय, सरस्वतीनगर, तहसील जुब्बल, ज़िला शिमला के निधि लेखें अवधि 04/2000 से 03/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग–एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के पश्चात नवीनतम स्थिति निम्न थीः–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 07/1986 से 03/1990

1	पैरा–3 (बी), (सी)	अनिर्णीत
2	पैरा–4 (ए, बी, सी)	अनिर्णीत
3	पैरा–5, 6	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (ए–1 से 7 व II)	अनिर्णीत
5	पैरा–8	अनिर्णीत
6	पैरा–10 (सी)	अनिर्णीत
7	पैरा–11 (ए), बी 1 से 6	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (बी से जी)	अनिर्णीत
9	पैरा–13 (ए से जी)	अनिर्णीत
10	पैरा–14 (ए से एच)	अनिर्णीत
11	पैरा–15 (ए से एम)	अनिर्णीत
12	पैरा–16 (ए, बी)	अनिर्णीत
13	पैरा–17 (ए से एफ)	अनिर्णीत
14	पैरा–18 (ए से डी)	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1990 से 03/1997

1	पैरा–5 (क)	आंशिक निर्णीत
2	पैरा–5 (ख)	अनिर्णीत
3	पैरा–6 व 7	अनिर्णीत

4	पैरा–8 (क से ङ)	अनिर्णीत	
5	पैरा–9	अनिर्णीत	
6	पैरा–10 (क, ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–11 (क) 1 से 3 से (ज)	अनिर्णीत	
8	पैरा–11 (ज)	अनिर्णीत	
9	पैरा–11 (त्र)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त किया गया)
10	पैरा–11 (भ से श)	अनिर्णीत	
11	पैरा–12 (क से ख)	अनिर्णीत	
12	पैरा–13 (क से च)	अनिर्णीत	
13	पैरा–14 (क से ग)	अनिर्णीत	
14	पैरा–15 (क से ग)	अनिर्णीत	
15	पैरा–16	अनिर्णीत	
16	पैरा–17 (क से ग)	अनिर्णीत	
17	पैरा–18 (क)	अनिर्णीत	
18	पैरा–18 (ख)	निर्णीत	(₹2000/– के वाऊचर के अवलोकनोपरान्त पैरा समाप्त किया गया)
19	पैरा–19 (क एवं ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा–19 (ख)	अनिर्णीत	
21	पैरा–19 (घ एवं च)	अनिर्णीत	
22	पैरा–19 (ङ)	अनिर्णीत	
23	पैरा–20	अनिर्णीत	
24	पैरा–21	अनिर्णीत	
25	पैरा–22	अनिर्णीत	
26	पैरा–23 (क से ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा–24	अनिर्णीत	
28	पैरा–25	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1997 से 03/2000

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(सावधि जमा की नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा में पुनः प्रारूपित की गई है)
3	पैरा–5	अनिर्णीत	
4	पैरा–6	आंशिक निर्णीत	(क्रम संख्या 2, 4 व 10 में दिया गया मानदेय राशि ₹1500/– की वसूली शेष रहती है)
5	पैरा–7 (क)	अनिर्णीत	
6	पैरा–7 (ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (ग)	अनिर्णीत	
8	पैरा–7 (घ)	निर्णीत	(अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पैरा समाप्त किया गया)
9	पैरा–7 (ङ)	निर्णीत	(अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पैरा समाप्त किया गया)
10	पैरा–7 (च)	अनिर्णीत	
11	पैरा–7 (छ)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त किया गया)
12	पैरा–7 (ज)	अनिर्णीत	
13	पैरा–8 (क) क्रम संख्या 1 व 4	अनिर्णीत	
14	पैरा–8 (क) क्रम संख्या 2 व 3	निर्णीत	(₹500/– की वसूली रसीद संख्या 115426 दिनाँक 25.06.2011 द्वारा की गई थी जिसका सत्यापन कर लिया गया है व बिल/वाऊचर राशि ₹4000/– के सत्यापन उपरान्त पैरा समाप्त किया)
15	पैरा–8 (ख) 1 व 2	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार व अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पैरा समाप्त किया

			गया)
16	पैरा–8 (3)	अनिर्णीत	
17	पैरा–8 (4)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर पैरा समाप्त किया गया)
18	पैरा–8 (5)	अनिर्णीत	
19	पैरा–8 (6) 1	निर्णीत	(₹90/– की वसूली रसीद संख्या 304031 दिनाँक 18.10.2001 द्वारा की गई थी जिसका सत्यापन कर लिया गया है)
20	पैरा–8 (6) (2)	अनिर्णीत	
21	पैरा–8 (7)	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के आधार पर व स्टॉक रजिस्टर के सत्यापन पर पैरा समाप्त किया गया)
22	पैरा–8 (8)	अनिर्णीत	
23	पैरा–9 (क)	अनिर्णीत	
24	पैरा–9 (ख)	अनिर्णीत	
25	पैरा–9 (ग)	अनिर्णीत	
26	पैरा–9 (घ)	अनिर्णीत	
27	पैरा–9 (ङ)	अनिर्णीत	

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

लाल बहादुर शास्त्री, राजकीय महाविद्यालय, सरस्वतीनगर, तहसील जुब्बल, ज़िला शिमला के निधि लेखें अवधि 04/2000 से 03/2014 का अंकेक्षण सर्वश्री अनिल कुमार मेहरा, व मनजीत भाटिया, अनुभाग अधिकारियों द्वारा दिनाँक 12.8.2014 से 17.9.2014 तक किया गया। माह 11/2000, 07/2001, 07/2002, 07/2003, 11/2004, 11/2005, 11/2006, 11/2007, 06/2008, 11/2009, 06/2010, 06/2011, 10/2012, 06/2013 आय व माह 10/2000, 02/2002, 03/2003, 12/2003, 12/2004, 12/2005, 12/2006, 11/2007,

03/2009, 11/2009, 09/2010, 07/2011, 05/2012, 12/2013 व्यय की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित किए गए।

यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एव अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, संस्था द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत सूचना या सूचना उपलब्ध न करवाने की स्थिति में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

संस्था की अवधि 04/2000 से 03/2014 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹98000/–बनता है। अंकेक्षण दल ने अंकेक्षण अधियाचना संख्या 167/2014 दिनाँक 15.9.2014 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को बैंक ड्राफ्ट से प्रेषित करने हेतु प्रधानाचार्य से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) संस्था की लेखावधि 04/2000 से 03/2014 तक की वित्तीय स्थिति वर्षवार निम्न प्रकार से थी। संस्था की माहवार, निधिवार स्थिति, बैंक अन्तशेष सहित पूर्ण विवरण **परिशिष्ट (क–1 से क–28)** में दिया गया हैः–

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	ब्याज	योग	भुगतान	अन्तिम शेष
2000–01	688866.00	414410.50	72207.00	1175483.50	441839.00	733644.50
2001–02	733644.50	364211.50	31171.00	1129027.00	301384.00	827643.00
2002–03	827643.00	269869.00	61800.00	1159312.00	171076.00	988236.00
2003–04	988236.00	302579.00	35172.01	132597.01	220636	1105351.01
2004–05	1105351.01	292832.21	54774.89	1452958.11	308709	1144249.11
2005–06	1144249.11	410995.00	26655.89	1581900.00	227396	1354504.00
2006–07	1354504.00	429613.00	63030.00	1847147.00	351762	1495385.00
2007–08	1495385.00	501133.00	88916.00	2085434.00	467224	1618210.00
2008–09	1618210.00	499285.00	136402.00	2253897.00	473518	1780379.00
2009–10	1780379.00	390701.00	19368.00	2190448.00	369892	1820556.00
2010–11	1820556.00	762358.00	70525.00	2653439.00	660857	1992582.00

2011–12	1992582.00	800491.00	289050.00	3082123.00	746657	2335466.00
2012–13	2335466.00	741662.00	69931.00	3147059.00	929752	2217307.00
2013–14	2217307.00	825644.00	176347.00	3219298.00	538276	2681022.00

इस प्रकार से वित्तीय स्थिति अनुसार 31.3.2014 तक विभिन्न निधियों में ₹2681022/– अन्तिम शेष था व ₹2675207/– विभिन्न निधियों की रोकड़ बहियों मे दिनाँक 31.3.14 को शेष पाई गई। इस प्रकार से दिनाँक 31.3.14 को रोकड़ बही अनुसार शेष व वित्तीय स्थिति में ₹5815/– का अन्तर था अभिलेख की विस्तृत जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में निम्नलिखित विवरण अनुसार Opening Balances कम उठाए/लाये गए थेः–

Serial No.	Name of the fund	Date of closing balance	Amount of Closing Balance carried down	Date of Opening Balance	Opening Balance brought forward	Less opening balance shown
1	NCC	30.6.03	11107	01.7.03	10907	200
2	Health fund	31.3.13	48796	01.4.13	47764	1032
3	Library security	31.3.13	317569	01.4.13	316249	1320
4	University Fund	31.3.08	53229	01.4.08	50341	2888
5	Fine Fund	28.2.10	26067	31.3.10	25692	375
					Total	**5815**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 139/2014 दिनाँक 26.8.2014 द्वारा उपरोक्त निधियों के शेष को कम दर्शाने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। उक्त अंकेक्षण अधियाचना के उत्तर में संस्थाध्यक्ष द्वारा पत्र संख्या EDN-SN-16/2014-15/298 दिनाँक 04.09.2014 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली श्री प्रताप सिंह, वरिष्ठ सहायक (सेवा निवृत) से रसीद संख्या 0281776 दिनाँक 03.09.2014 द्वारा करके सम्बन्धित निधियों में जमा करवा दी गई थी जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख से कर लिया गया था।

इसके अतिरिक्त बैंक खातों (सेविंग+एफडीआर) में दिनाँक 31.03.2014 को ₹2709307/– शेष/जमा थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट (ख)** में दिया गया है। बैंक खाते के शेष व वित्तीय स्थिति के शेष अर्थात ₹2709307–2681022=₹28285/– का अन्तर है जिसका विवरण निम्न हैः–

क्र0सं0	**पूर्ण विवरण**	**राशि**
1	कॉलेज द्वारा जारी चैक को दिनाँक 31.03.14 तक बैंक में प्रस्तुत न करना (उक्त चैक संख्या 31.3.2014 के बाद बैंक में प्रस्तुत किया गया था)	34100
2	(–) उपरोक्त विवरण द्वारा बैंक में कम जमा करने के कारण (राशि ₹5815 माह 09/14 को बैंक में जमा की गई है)	(–) 5815
	कुल अन्तर	**28285**

5 सावधि जमा/निवेशः–

संस्था के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि छात्र निधियों से दिनाँक 31.3.14 तक ₹577992/– की राशि सावधि जमा योजना में जमा थी जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है तथा शेष ₹2131315/– बचत खातों में ही रखी गई थी। इतनी अधिक राशि को बचत बैंक खातों में रखा जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में आधिक्य/अनुपयुक्त राशि को उचित वित्तीय प्रबन्धन का ध्यान रखते हुये, सावधि खाते में जमा/निवेश किया जाए जिससे कि अधिक ब्याज की प्राप्ति हो सके तथा जिसे छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सकता है।

6 सावधि जमा निवेश पर ₹40643/– ब्याज की प्राप्ति न करनाः–

कॉलेज के एफ0डी0आर0 रजिस्टर व सम्बन्धित अभिलेख की जाँच पड़ताल में पाया गया कि एफ0डी0आर0 संख्या 726320 ₹498528 पर अवधि 08.01.10 से 31.10.10 तक का ब्याज प्राप्त नहीं किया गया था वास्तव में उक्त पूर्व निवेशित एफ0डी0आर0 07.01.10 को परिपक्व हुई थी तथा 01.11.10 को पुनः निवेशित की गई दर्शाई गई थी। इस प्रकार से दिनाँक 08.01.10 से 31.10.10 की अवधि तक इस राशि अर्थात ₹498528/– पर किसी भी

प्रकार का कोई ब्याज अर्जित नहीं किया गया था। इस एफ0डी0आर0 पर निम्न विवरण अनुसार ₹40643/– ब्याज अर्जित किया जाना अपेक्षित थाः–

Name of Fund	FDR A/C No.	Previous Date of Maturity	Maturity value on 7.1.10 (₹)	Date of renewal as per FDR register	Amount re-invested on 11/10 (₹)	Prevailing rate of interest on 7.1.10	Date on which FDR was required to be re-invested	Loss of interest (8.01.10 to 01.11.11) (₹)
Misc. Fund	726320	7.1.10	498528	Nov. 2010	498528	9.75%	8.1.10	40643

उपरोक्त प्रकरण के सन्दर्भ में संस्थाध्यक्ष को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 138/2014 दिनाँक 26.8.2014 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने बारे सूचित किया गया था। उक्त अंकेक्षण अधियाचना के उत्तर में संस्थाध्यक्ष द्वारा पत्र संख्या EDN-SN-16/2014-15/299 दिनाँक 04.09.2014 द्वारा अवगत करवाया गया कि कम ब्याज की प्राप्ति का मामला बैंक से उठाया गया है और यदि बैंक का उत्तर सन्तोषजनक नहीं पाया जाता है तो पूर्ण प्रकरण भारतीय रिजर्व बैंक से उठाया जाएगा। इस प्रकरण में पूर्ण छानबीन करके ब्याज की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7 ₹11460/– विलम्ब प्रवेश शुल्क (late admission fee) के रूप में कम प्राप्तिः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सत्र 2012–13 व 2013–14 में छात्रों का प्रवेश हिमाचल प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ईडी0एन–एच(8) बी (1) /2011 दिनाँक 24.03.2011 द्वारा बिना विलम्ब शुल्क के दिनाँक 10 जून तक निर्धारित किया गया था तथा इस अवधि के बाद विलम्ब शुल्क ₹10/– प्रतिदिन की दर से लिया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा वर्ष 2012–13 व 2013–14 के लिए कम विलम्ब प्रवेश शुल्क प्राप्त किया गया था। इस सन्दर्भ में अधियाचना संख्या 165/2014 दिनाँक 09.09.2014 के माध्यम से वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था। संस्था द्वारा पत्र संख्या ई0डी0एन0–एस0एन0–16/2014–15 दिनाँक 17.9.2014 के माध्यम से दिये गये उत्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2012–13 व 2013–14 के लिए सरकार द्वारा निर्देश जारी करके छात्रों के प्रवेश की तिथि बिना विलम्ब

शुल्क के दिनाँक 20 जून तक बढ़ाई/निर्धारित की गई थी तथा माना, कि छात्रों से वास्तव में **परिशिष्ट "घ"** के अनुसार ₹11460/– की कम प्राप्ति की गई थी जिसकी वसूली अतिशीघ्र करके चालान के माध्यम से राजकोष में जमा करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

8 निधि खाते से प्रदान किए गए ऋण/अग्रिम ₹332506/– वापिस प्राप्त न करनाः–

(क) निधि खाते से प्रदान किए गए ऋण ₹280800/– को वापिस प्राप्त न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 122 अनुसार दिनाँक 16.5.12 को बी0सी0ए0 कम्पयूटर लैब के लिए कम्पयूटर आदि की खरीद के लिए (Misc.) निधि खाते से ₹280800/– की राशि आहरित की गई थी विस्तृत जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि उक्त राशि को ऋण स्वरूप व्यय करने की स्वीकृति निदेशक, शिक्षा विभाग द्वारा पत्र संख्या EDN-SN-141/2011-120 दिनाँक 26.4.2014 द्वारा ली गई थी, परन्तु ऋण स्वरूप ली गई राशि अंकेक्षण अवधि तक वापिस नहीं की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158/2014 दिनाँक 06.09.2014 के सन्दर्भ में भी संस्था द्वारा पत्र संख्या ई0डी0एन0–एस0एन–16/2014–15/300 दिनाँक 16.9.2014 के माध्यम से दिये गये उत्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त राशि अभी तक वापिस नहीं की गई है। अतः ऋण स्वरूप ली गई राशि को अतिशीघ्र निधि खाते में वापिस जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ब्याज के रूप में हो रही हानि से बचा जा सके व राशि को छात्रों की विभिन्न गतिविधियों हेतु व्यय किया जा सके।

(ख) ₹41706/– हॉस्टल के बिजली का मीटर लगवाने के लिए अदायगी, ऋण स्वरूप रेंजर एण्ड रोबर निधि खाते से करके, वापिस प्राप्त न करनाः–

दिनाँक 24.11.14 को छात्रा हॉस्टल में बिजली का मीटर लगवाने के लिए अदायगी हेतु रेंजर एण्ड रोबर निधि से ऋण स्वरूप ₹41706/– की निकासी की गई थी परन्तु ऋण स्वरूप ली गई राशि अंकेक्षण अवधि तक वापिस नहीं की गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 158/2014 दिनाँक 06.09.2014 के सन्दर्भ में भी संस्था द्वारा पत्र संख्या

ई0डी0एन0–एस0एन0–16 / 2014–15 / 300 दिनाँक 16.9.2014 के माध्यम से दिये गये उत्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त राशि अभी तक वापिस प्राप्त नहीं की गई है। अतः ऋण स्वरूप दी गई राशि को अतिशीघ्र सम्बन्धित निधि खाते में वापिस जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) श्री संदीप चौहान को बतौर अग्रिम दी गई ₹10000 / – का समायोजन न किया जानाः–

दिनाँक 10.9.10 को बालीबाल टूर्नामैन्ट हेतु श्री संदीप चौहान को खेलकूद निधि से ₹10000 / – की राशि बतौर अग्रिम दी गई थी परन्तु अंकेक्षण अवधि तक उक्त राशि का समायोजन नहीं किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली में दिये गये प्रावधानों अनुसार एक माह के भीतर अग्रिम ली गई राशि का समायोजन किया जाना अपेक्षित था। अतः अग्रिम ली गई राशि को अतिशीघ्र निधि खाते में दण्ड ब्याज सहित जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना सें इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 एच0आर0टी0सी0 से रियायती पास सुविधा न लेने पर ₹4310 / – का क्रीड़ा निधि से अनुचित भुगतानः–

क्रीड़ा निधि से प्रदान अग्रिम राशियों के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों के यूथ फेस्टिवल में भाग लेने हेतु विभिन्न स्थानों के लिए बस द्वारा की गई यात्रा पर व्यय किया गया था जिनका विवरण नीचे दिया गया है परन्तु एच0आर0 टी0सी0 से छात्रों की यात्रा पर 50**%** की दर से बस किराए में उपलब्ध रियायती पास सुविधा न लेने के कारण ₹4310 / – का अधिक भुगतान किया गया जोकि अनियमित है जबकि अन्य इस प्रकार के मामलों में उक्त रियायती पास सुविधा प्राप्त की गई थी। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा किए गए अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके उक्त निधि में जमा करवाया जाये जिसकी अनुपालना अंकेक्षण को भी दिखाई जाये।

क्र0 सं0	व्यक्ति का नाम व पदनाम	प्रदान अग्रिम राशि	समायोजन की तिथि/माह	रोकड़ बही पृ0	छात्रों की यात्रा का स्थान	यात्रा पर किया गया व्यय	50% रियायती पास सुविधा न लेने पर अधिक भुगतान
1	डॉ0 पूनम मेहता, सहायक प्रोफेसर	8000	9/2010	194	सरस्वती नगर से सुजानपुर टिहरा एवं वापसी	3120	1560
	श्री सरदार सिंह चौहान, प्रोफेसर	20000	9/2013	7	सरस्वती नगर से सुन्दरनगर एवं वापसी	5500	2750
						कुल	**4310**

10 ₹14100/– की शैक्षणिक शुल्क की राशि की छूट प्रदान करनाः–

अंकेक्षण के दौरान छात्र निधि संग्रह रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया गया कि जिन छात्रों के भाई–बहन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे उस स्थिति में छोटे भाई को छः/नौ माह की ₹50/– प्रतिमाह की दर से "फीस एवं फंड" की दूसरी किस्त में शैक्षणिक शुल्क (Tution Fee) में छूट प्रदान की गई थी जिसके कुछ प्रकरण निम्न वर्णित दिये गये है। परिणामस्वरूप छात्रों को ₹14100/– शैक्षणिक शुल्क की छूट प्रदान की गई, परन्तु इस प्रकार की छूट प्रदान करने सम्बन्धी कोई भी प्रावधान अथवा आदेश अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। अतः पाई गई त्रुटि बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये इस प्रकार छूट प्रदान करना नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

क्र0 सं0	छात्र का नाम	कक्षा	रोल नं0	संग्रह रजिस्टर पृ0	रसीद संख्या	तिथि	शैक्षणिक शुल्क की राशि जो नहीं की गई
1	मंजीत	बी0ए0 I	265	120	202337	19.11.05	300

2	मंजीत	बी0ए0 II	571	169	248533	3.11.06	300
3	सुरेश कुमार	बी0एस0सी0 II	715	177	249834	8.11.06	300
4	पवन कुमार	बी0ए0 III	849	122	202395	21.11.05	300
5	कुलदीप	बी0ए0 II	578	234	0101593	27.11.07	300
6	हेमन्त	बी0ए0 I	266	150	106058	25.11.00	300
7	सुनील	बी0ए0 I	225	150	106063	25.11.00	300
8	युधिष्ठर	बी0ए0 I	230	150	106075	25.11.00	300
9	राकेश	बी0ए0 I	155	151	106103	27.11.00	300
10	कल्याण सिंह	बी0ए0 II	582	152	106112	27.11.00	300
11	बालकृष्ण	बी0ए0 II	509	152	106127	27.11.00	300
12	भोपिन्दर	बी0ए0 II	576	153	106165	27.11.00	300
13	नरेश	बी0ए0 II	613	154	106180	27.11.00	300
14	रविन्दर	बी0ए0 III	826	155	106218	28.11.00	300
15	दिग्विजय	बी0ए0 II	834	156	106245	28.11.00	300
16	लोकेन्दर	बी0ए0 I	235	156	106256	28.11.00	300
17	मुकन्द लाल	बी0एस0सी0 III	903	157	106273	28.11.00	300
18	राकेश	बी0ए0 III	853	158	106298	28.11.00	300
19	नरेश	बी0एस0सी0 I	402	158	16305	28.11.00	300
20	मनोज	बी0ए0 I	172	159	106317	28.11.00	300
21	राजेश	बी0ए0 III	887	160	106372	29.11.00	300
22	कपिल	बी0ए0 III	876	161	106341	4.12.00	300
23	अमन	बी0ए0 I	124	58	0718703	5.12.08	300
24	परवीन	बी0ए0 II	658	194	0582432	21.10.00	450
25	वीरेन्दर	बी0ए0 II	670	194	0582443	20.10.10	450
26	राहुल	बी0ए0 II	699	194	0582449	20.10.10	450
27	मुकेश	बी0ए0 II	687	196	0582492	21.10.10	450
28	रोहित	बी0ए0 II	662	198	0582535	25.10.10	450

29	वेद प्रकाश	बी0ए0 II	671	198	0582544	25.10.10	450
30	रोहित	बी0ए0 I	347	198	0582547	25.10.10	300
31	मोनु	बी0ए0 I	320	199	0582589	25.10.10	300
32	दीपक	बी0ए0 I	370	200	0582620	25.10.10	300
33	कपिल	बी0कॉम0 I	1132	202	0582669	26.10.10	300
34	वरूण	बी0ए0 I	292	203	0582678	27.10.10	300
35	मुनीष	बी0ए0 I	265	203	0582696	27.10.10	300
36	विनय	बी0ए0 I	284	203	0582705	27.10.10	300
37	अंकुर	बी0कॉम0 I	1108	204	0582724	27.10.10	300
38	चन्द्रमोहन	बी0ए0 II	659	204	0582725	27.10.10	450
39	देव राज	बी0ए0 III	1016	204	0582732	27.10.10	450
40	रोहित	बी0ए0 I	311	205	0582752	28.10.10	300
41	कुशाल	बी0ए0 I	343	205	0582761	28.10.10	300
42	रविन्दर मोहन	बी0एस0सी0 I	437	207	0582816	30.10.10	300
43	अरूण कुमार	बी0ए0 I	264	208	058282	10.11.10	300
						कुल	**14100**

11 ₹27878/– की राशि के व्यय के बिल/वाऊचर प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित बिल/वाउचर का भुगतान रोकड़ बही में किया गया था परन्तु भुगतान से सम्बन्धित बिल/वाउचर न तो वाउचर फाईल में मौजूद थे तथा न ही संस्था द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाए गएः–

क्र0सं0	भुगतान का माह	आपूर्तिकर्ता का नाम	राशि	टिप्पणी
1	12/05	मै0 राजधानी स्पोर्टस शिमला–1	11232	
2	12/05	मै0 श्रेया कम्पनी, शिमला–1	13198	
3	05/12	आपूर्तिकर्ता का नाम रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है	3448	भुगतान समाचार पत्रों के क्रय एवं प्रिटिंग चार्जिज हेतु
		कुल योग	**₹27878**	

इस प्रकार बिल/वाउचर के अभाव में उपरोक्त भुगतान की अंकेक्षण में आवश्यक जाँच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त वर्णित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

12 ₹114800/– की राशि कम्पयूटर इत्यादि की खरीद अनियमित रूप से पुस्तकालय निधि से किया जानाः–

संस्था के निधि लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि रोकड़ बही के पृष्ठ 210 पर दिनाँक 21.07.2011 को पुस्तकालय निधि से दो लेनावो डेस्कटॉप कम्पयूटर, एक एचसीएल डेस्कटॉप कम्पयूटर, दो यूपीएस व दो लेजर–जेट प्रिटर्स आदि की खरीद के लिए ₹114800/– का भुगतान मै0 कंवर कम्पयूटर सेंटर, जोधामल भवन, अप्पर बाजार रोहड़ू जिला शिमला को उनके बिल संख्या 015 दिनाँक 16.7.2011 के विरूद्ध किया गया था। बिल/वाउचर की विस्तृत जाँच पड़ताल में निम्न त्रुटियाँ पाई गई, जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए।

(क) कम्पयूटर इत्यादि की खरीद पुस्तकालय निधि पर उचित प्रभार नहीं है वास्तव में कम्पयूटर आदि की खरीद कम्पयूटर एंड इंटरनेट निधि से की जानी अपेक्षित थी। अतः पुस्तकालय निधि से कम्पयूटर इत्यादि की खरीद को न्यायोचित ठहराया जाएए अन्यथा इसकी प्रतिपूर्ति कम्पयूटर एंड इंटरनेट निधि से राशि हस्तांतरित करके की जाए।

(ख) खरीद की गई उपरोक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जो अपने–आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है। अतः समस्त खरीद की गई सामग्री को अविलम्ब स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) कम्पयूटर इत्यादि की खरीद से पहले purchase कमेटी की संतुति प्राप्त नहीं की गई थी। अतः यह सत्यापित नहीं किया जा सका कि वास्तव में उपरोक्त सामग्री की आवश्यकता थी या नहीं। अब इस खरीद की गई सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन करके, कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए।

13 पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से ₹150000/– को अनियमित रूप से मिश्रित निधि से हस्तांतरित करनाः–

संस्था के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 10/2000 व 11/2007 में पुस्तकालय प्रतिभूति निधि से क्रमशः ₹100000/– व ₹50000/– की राशि मिश्रित निधि में हस्तांतरित की गई थी। उपरोक्त हस्तांतरित की गई राशियों के सन्दर्भ में चर्चा के दौरान अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि हस्तांतरित की गई राशियाँ उन छात्रों से सम्बन्धित थी जिनको संस्था छोड़े हुये काफी समय हो गया था तथा उन द्वारा पुस्तकालय प्रतिभूति को वापिस नहीं लिया गया था। परन्तु यह पुस्तकालय प्रतिभूति राशियाँ किन छात्रों द्वारा वापिस नहीं ली गई थी के सन्दर्भ में कोई भी विवरण/सूचियाँ प्रस्तुत नहीं की गई जिससे हस्तांतरित की गई राशि का सत्यापन किया जा सकता। अतः बिना सूचियाँ/विवरण तैयार अनियमित रूप से हस्तांतरित की गई राशि को न्यायोचित ठहराया जाए।

14 वार्षिक समारोह हेतु खरीदी गई ₹116685/– की सामग्री को नियमानुसार स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न किया जाना न ही खरीदी गई सामग्री के सन्दर्भ में विभिन्न आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करनाः–

निम्नलिखित राशियाँ वार्षिक समारोह में विभिन्न स्मृति चिन्हों की खरीद हेतु व्यय की गई थीः–

क्र0 सं0	बिल सं0/दिनाँक	आपूर्तिकर्ता	खरीदी गई सामग्री का साक्षिप्त विवरण	बिल की राशि	टिप्पणी
1	03/03	मै0 विन एंड वियर, सैक्टर–17–सी चण्डीगढ़	स्मृति चिन्ह	18949	प्रधानाचार्य/आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सामग्री खरीद हेतु अपने स्तर पर स्वीकृति पत्र संख्या शिक्षा/जीडीसी/एस–नगर 126/02 दिनाँक 05.03.03 द्वारा प्रदान की गई थी

2	1520 व 1521 दिनाँक 20.12.04	मै0 श्रेया राम बाजार, शिमला–1	स्मृति चिन्ह	54095	
3	3441, 3442 व 3443 दिनाँक 20. 12.06	मै0 विन एंड वियर, सैक्टर–17 सी, चण्डीगढ़	स्मृति चिन्ह	35973	
4	523, 524, 525 दिनाँक 16.12.06	मै0 शिवालिक बुक सेंटर चण्डीगढ़	पुस्तकें, मैगजीन, शब्दकोष इत्यादि	7668	
			कुल योग	**116685**	

उपरोक्त क्रय की गई सामग्री में निम्न आपत्तियाँ पाई गई जिस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाएः–

क) क्रम संख्या 1 से 4 में क्रय की गई सामग्री की स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाए गए। चर्चा में बताया गया कि उपरोक्त सामग्री/स्मृति चिन्ह वार्षिक पारितोषिक समारोह में होनहार (meritorious) छात्रों को आंबटित किए गए थे परन्तु किन छात्रों को यह पुस्तकें/स्मृति चिन्ह आंबटित किए गए के सन्दर्भ में कोई भी सूचियाँ अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस प्रकार से स्टॉक रजिस्टर में सामग्री की प्राप्ति व जारी किए जाने की स्थिति न दर्शाये जाने के फलस्वरूप खरीदी गई सामग्री का सत्यापन नहीं किया जा सका, इस प्रकार की स्थिति में स्टॉक के दुरूपयोग किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

ख) क्रम संख्या 1, 3 व 4 में सामग्री क्रय करने से पहले स्थानीय मार्केट से दरें/कोटेशन नहीं ली गई थी जिसकी अनुपस्थिति में स्थानीय मार्केट की दरों व चण्डीगढ़ की दरों की तुलना भी नहीं की जा सकी। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि क्रय किए जाने से पूर्व स्थानीय मार्केट से भी दरें प्राप्त की जाएं व न्यूनतम दरों पर ही सामग्री की खरीद की जाए।

ग) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर खरीद हेतु तीन फर्मों से कोटेशन प्राप्त तो की गई थी परन्तु खरीदे गए स्मृति चिन्हों के साईज Specification विशेषता make क्वालिटी इत्यादि का कोई विवरण नहीं दिया गया था ऐसे में विभिन्न प्रकार के खरीदे गए स्मृति चिन्हों का साईज specification विशेषता, make क्वालिटी इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार से कोई तुलनात्मक सत्यापन नहीं किया जा सका। बिल की विस्तृत जाँच पड़ताल में पाया गया कि जिस स्मृति चिन्ह का मूल्य ₹50/– था उसे भी स्मृति चिन्ह ही लिखा गया था जिस स्मृति चिन्ह का मूल्य ₹2600/– था उसे भी स्मृति चिन्ह ही लिखा गया था। इस प्रकार के मामले में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः मामला उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से इस आशय के साथ लाया जाता है कि उक्त मामले कि जाँच पड़ताल विभागीय स्त्तर पर करवाई जाए और यदि कोई वित्तीय अनियमितता पाई जाती है तो दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

घ) उपरोक्त क्रम संख्या 1, 3 व 4 में सामग्री कि खरीद बाहरी राज्य से की गई थी जो कि एक तो राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर जारी किए गए दिशा निर्देशों की अवहेलना है तथा राज्य सरकार को बिक्री कर/वैट के रूप में भी हानि होती है जैसे कि उपरोक्त क्रम संख्या 1 व 3 में क्रमशः ₹799/– व ₹1384 चण्डीगढ़ में खरीद के दौरान बिल में बतौर बिक्री की/वैट के रूप अदा किए गए थे। अतः सामग्री की खरीद सरकार के दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ₹9830/– की राशि का मिश्रित निधि से अनियमित एवं अनुचित भुगतानः–

निधि लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में मिश्रित निधि में से ₹9830/– का व्यय अनाधिकृत तरीके से किया गया जबकि यह व्यय इस निधि से उचित प्रभार नहीं था।

क्र0सं0	माह/दिनाँक	व्यय की गई राशि का विवरण	राशि
1	12/06	कार्यालय टेलीफोन बिल	2044
2	27.9.2010	होस्टल के चौकीदार के कमरे में विद्युत मीटर लगवाने हेतु	3986
3	9/2010	होस्टल में गैस कनैक्शन प्रतिभूति का भुगतान	3800
		कुल योग	**9830**

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्स व सरकार द्वारा समय–2 पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार मिश्रित निधि का उपयोग केवल छात्र गतिविधियों के लिए ही किए जाने का प्रावधान है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि मिश्रित निधि से अनियमित व अनुचित रूप से व्यय की गई राशि ₹9830/– के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व अनुचित रूप से व्यय की गई राशि ₹9830/– की वसूली उचित स्त्रोत से करके मिश्रित निधि में जमा करवाई जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

16 महाविद्यालय परिचय विवरणिका (Prospectus)

(क) परिचय विवरणिका की बिक्री से प्राप्त राशि को विलम्ब से जमा करनाः–

अभिलेख की ज़ाँच के दौरान पाया गया कि छात्रों से प्राप्त राशियों को विद्यमान नियमानुसार व शिक्षा विभाग के पत्र संख्या ई0डी0एन0–एच (21) ए(3)21/2010–V दिनाँक 06.04.2011 द्वारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता में किए गए संशोधन अनुसार पैरा/धारा 4.4 अनुसार प्राप्त राशियों को प्राप्तियों के दिन अथवा अगले कार्य दिवस को जमा किया जाना अपेक्षित था तथा किसी भी स्थिति में हस्तगत राशि नहीं रखी जा सकती। परन्तु निम्न वर्णित मामलों में महाविद्यालय द्वारा विभिन्न वर्षों में छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश पाने हेतु सम्बन्धित सत्र के माह जून/जुलाई तक परिचय विवरणिका (Prospectus) की बिक्री की गई परन्तु बिक्री की राशि को उपरोक्त नियम की अनदेखी करते हुये विलम्ब से खाते में जमा किया गया। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में समस्त प्रकार की प्राप्त राशि को प्राप्ति के दिन अथवा अगले कार्य दिवस में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि ब्याज प्राप्ति से होने वाली हानि से बचा जा सके।

क्र0सं0	सत्र	माह जून/जुलाई तक बिक्री से प्राप्त राशि	रसीद संख्या	जमा की तिथि	संग्रह रजिस्टर पृ0
1	1999–2000	1067	106395	03.02.01	162
2	2003–04	7880	147481	15.10.03	19
3	2006–07	9700	271625	08.09.06	162
4	2007–08	4000	375570	21.11.07	224
5	2007–08	4660	0122056	17.04.08	259
6	2010–11	16510	0582311	28.09.10	189

ख) परिचय विवरणिका की बिक्री से सम्भावित हानिः—

परिचय विवरणिका स्टॉक रजिस्टर जोकि सत्र 2012—13 से प्रारम्भ किया गया था का अवलोकन करने पर पाया गया कि महाविद्यालय द्वारा जितने मूल्य की परिचय विवरणिकाओं का मुद्रण करवाया गया बिक्री से प्राप्त राशि उस से कम थी जिसके कारण ₹1990/— की सम्भावित हानि हुई जबकि किया गया व्यय प्राप्त राशि से कम से कम समतुल्य होना चाहिए था ताकि परिचय विवरणिका की छपवाई पर किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में परिचय विवरणिका के मुद्रण पर किए गए व्यय व बिक्री से प्राप्त राशि के अन्तर को शून्य करने का भरसक प्रयत्न किया जाये ताकि उक्त प्रकार की सम्भावित हानि से बचा जा सकेः—

क्र0सं0	सत्र	स्टॉक रजिस्टर पृ0सं0	मुद्रित विवरणिकाओं की सं0	मुद्रण की लागत	बिक्री से प्राप्त राशि	सम्भावित हानि
1	2012—13	1	700	17500	15810	1690
2	2013—14	3	600	15000	14700	300
					कुल	**1990**

17 समाचार पत्रों की रददी की नीलामी न करनाः—

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाए गए अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय की मिश्रित निधि से पुस्तकालय हेतु प्राप्त किए जा रहे समाचार पत्रों की रददी की दिनाँक 14.9.2007 से अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी नीलामी नहीं की गई थी। इस प्रकार गत सात वर्षों से समय—समय पर रद्दी की नीलामी न करने से मिश्रित निधि को आय व ब्याज की हानि हुई जो कि अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः पाई गई अनियमितता बारे तथ्यों सहित वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाए तथा उपरोक्त वर्णित रद्दी की शीघ्र नीलामी करके प्राप्त राशि को मिश्रित निधि में जमा किया जाना सुनिश्चित की जाए व अनुपालना अंकेक्षण में दिखाई जाए।

18 शुल्क के रूप में प्राप्तियों का सम्बन्धित कोषागार से मिलान न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा छात्रों से प्राप्त की जा रही सरकारी प्राप्तियों/विभिन्न शुल्क जैसे प्रवेश शुल्क, संस्था छोड़ने का प्रमाण पत्र शुल्क, अध्ययन शुल्क इत्यादि को यथा समय कोषागार में जमा करवाने के चालान अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए थे परन्तु संस्था द्वारा जमा करवाई गई राशि का सम्बन्धित कोषागार से मासिक मिलान (Monthly reconciliation) नहीं किया गया था जिससे जमा करवाई गई राशि का वास्तविक सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः ये सुझाव दिया जाता है कि शुल्क/सरकारी प्राप्तियों के रूप में जमा करवाई गई राशियों का कोषागार के साथ मासिक मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी प्रकार की चूक की सम्भावना न रहे।

19 अवधि 04/2000 से 03/2007 तक छात्रों की शुल्क व निधियों की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाई गई रसीदों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

संस्था के अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण द्वारा छात्रों की शुल्क व निधियों की प्राप्ति हेतु जारी की गई रसीदों में से, आय हेतु चयनित माहों की रसीदें प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया, अंकेक्षण में 04/2007 से 03/2014 तक के लिए आय हेतु चयनित माहों की रसीदें तो अंकेक्षण में प्रस्तुत की गई परन्तु शेष अंकेक्षण अवधि अर्थात 04/2000 से 03/2007 तक की रसीदें अंकेक्षण में आय की जाँच पड़ताल के लिए उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस सन्दर्भ में अवधि 04/2000 से 03/2007 की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु अधियाचना संख्या 151/2014 दिनाँक 28.8.2014 के माध्यम से भी आग्रह किया गया था। संस्था द्वारा पत्र संख्या ईडीएन–एसएन–16/2014 –15/300 दिनाँक 04.9.2014 के माध्यम से दिये गये उत्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्ष 2007 में अभिलेख को नए भवन में शिफ्ट किए जाने के समय कहीं रखा गया था जिसे भरसक प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिल सका। अतः अवधि 04/2000 से 03/2007 तक की रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने के फलस्वरूप आय की जाँच पड़ताल/प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि समस्त रसीदें आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

20 रसीद बुक्स का स्टॉक रजिस्टर में लेखा नियमों अनुसार स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज न करनाः–

संस्था द्वारा छपवाई गई रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया जिससे छपवाई गई रसीद बुकों व उपयोग लाई गई रसीदों तथा शेष रसीद बुकों का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक को निम्न प्रपत्र पर रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर में क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही प्रयोग में लाया जाए ताकि किसी प्रकार की अनियमितता की सम्भावना न रहे व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Date of receipt of Receipt Books	**No. of Receipt Books received**	**Cr. No. of the receipt Books**	**No. of forms in the receipt book referred to in Col. No. 3**	**Signature of the custodian of receipt books**
Date of issue of receipt books	Sr. No. of the receipt book issue		Signature of official to whom receipt book issued	balance

21 छात्राओं के हॉस्टल की रोकड़बही अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

महाविद्यालय में छात्राओं के लिए होस्टल का संचालन सत्र 2011–12 से किया गया तथा शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार विभिन्न हॉस्टल निधियाँ/प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई थी जिसे केवल संग्रह रजिस्टर में ही दर्ज किया गया था परन्तु हॉस्टल की रोकड़बही अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160/2014 दिनाँक 08.09.2014 द्वारा हॉस्टल की रोकड़ बही उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक हॉस्टल की रोकड़बही अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई थी जोकि अपने आप ही एक गम्भीर अनियमितता है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कार्य कलाप पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। अतः रोकड़बही तैयार करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

22 निधियों व रोकड़बही के रख रखाव में पाई गई कुछ त्रुटियों का संक्षिप्त विवरणः—

निधियों व रोकड़बही के रख—रखाव में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से हैः—

क) विज्ञान निधि में दिनाँक 06.02.2010 से पहले तक भौतिक रासायनिक जीव विज्ञान भू विज्ञान शारीरिक शिक्षा, संगीत विषय के लिए प्राप्त निधि राशि का रख रखाव किया गया था परन्तु इस अवधि के बाद प्रत्येक निधि का खाता अलग से संचालित किया जा रहा है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि अलग—2 निधि के लिए भविष्य में अलग—2 खाते रखे जाये।

ख) संस्था द्वारा विविध (misc.) निधि के रूप में संचालन किया जा रहा है जबकि सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार इस प्रकार की निधि के संचालन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस निधि की जाँच पड़ताल में पाया गया कि परीक्षा निधि SWF कैम्पस डेवलपमेन्ट फंड, बुक रिपलेसमैन्ट फंड, फर्नीचर रिपेयर निधि, मैगजीन निधि, पहचान पत्र निधि विविध निधि में जमा करके माह 07/2005 तक संचालन किया गया था तथा इस अवधि के बाद इस निधि के शेष को सम्बन्धित निधियों में हस्तांतरित न करके निधि माह 08/2005 के बाद SWF कैम्पस डवेलपमेन्ट फंड, बुक रिपलेसमेन्ट फंड, फर्नीचर रिपेयर निधि, मैगजीन निधि, पहचान पत्र निधियों का अलग—2 संचालन किया गया था। गत शेष राशि को सम्बन्धित निधि खाते में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ग) अवधि 06/2010 से 03/2013 तक छात्र विकास निधि के रूप में प्राप्त की गई राशि को स्वास्थ्य निधि में जमा किया गया था जिसे निकाल कर अब छात्र विकास निधि में हस्तांतरित किया जाए।

घ) दिनाँक 31.3.13 तक छात्र निधियों के रख रखाव के लिए एकीकृत रोकड़बही ही प्रयोग में लाई जा रही थी तथा बैंक में प्रत्येक निधि के लिए अलग से बैंक खाता रखा गया था परन्तु वर्ष 2013—14 के लिए अलग—2 निधि के लिए अलग—2 रोकड़बही प्रयोग में लाई गई थी जोकि तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि समस्त निधियों के लिए एक ही रोकड़बही (multi coloumn cash book) प्रयोग में लाई जाए तथा बैंक में प्रत्येक निधि के लिए खातों का रख रखाव अलग—2 किया जाए।

23 स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न किया जानाः—

विभिन्न निधियों से खरीदी गई सामग्री के स्टॉक का नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु संस्था द्वारा स्टॉक/स्टोर के किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन के सन्दर्भ में कोई अभिलेख अंकेक्षण के समय उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए व भविष्य में प्रतिवर्ष स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24 लघु आपति विवरणीः— लघु आपत्ति विवरणी अलग से जारी नहीं की गई थी।

25 निष्कर्षः— लेखों में सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एलए0)एच(2)सी(15)(xi)(i)188/88 खण्ड—2—545—547 दिनांक, 29.01.2015. शिमला—171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :—

पंजीकृत 1. प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें ।

2 प्रधान सचिव (उच्चत्तर शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला—171002

3 निदेशक, शिक्षा (उच्चत्तर शिक्षा) विभाग हि0प्र0 शिमला—171002

हस्ता/—
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश,शिमला—171009.